न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:–46/2022 (GCMS No. 2022/48) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. एहसान अली पुत्र अब्दुल जाति मुसलमान निवासी ग्राम अतेवा जिला करौली राज.।

.....अपीलांट

बनाम

1. जिला कलक्टर करौली।
2. उपजिला कलक्टर करौली एवं अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति शिविर अतेवा।
3. तहसीलदार करौली।
4. सरपंच ग्राम पंचायत अतेवा जिला करौली।

.....रेस्पोडेंटस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति शिविर अतेवा करौली दिनांक 11.03.2022 बावत् खसरा नम्बर 655 रकवा 58 बीघा 10 विस्वा से 4 बीघा भूमि ग्राम अतेवा।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री मोहनसिंह राना, वकील।
2. रेस्पोडेंटस सं. 1 लगा. 3 की ओर से राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य **दिनांक : 21.02.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति शिविर अतेवा करौली के आदेश दिनांक 11.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा अपने कब्जे की भूमि आराजी खसरा नम्बर 655 रकवा 58 बीघा 10 विस्वा किस्म गैर मुकिन पहाड में से 4 बीघा भूमि का उसके पुराने कब्जे के आधार पर नियमन हेतु कार्यवाही की गई। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट संख्या 10377/2016 उनवान एहसान अली बनाम जिला कलक्टर करौली दायर की गई। माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.09.2016 को निर्णय पारित कर रेस्पो. संख्या 1 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने व रेस्पो. संख्या 1 द्वारा 3 माह में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जिसकी पालना में रेस्पो. संख्या

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

1 द्वारा 28.11.2016 को आदेश पारित कर अपीलांट के नियमन प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2017 व पुनः 26.09.2016 को निस्तारित करते हुये किस्म कृषि भूमि आवंटन हेतु अनुपलब्ध नहीं बताते हुये रेस्पो. संख्या 2 को नियमन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से निस्तारित करने के निर्देश दिये किन्तु प्रकरण निस्तारित नहीं किया गया। जिस पर पुनः विवश होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 3361/2019 दायर की जिसमें दिनांक 03.03.2021 को अपीलांट के आवेदन को तीन माह में निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। रेस्पो. संख्या 2 द्वारा दिनांक 11.03.2022 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में अपीलांट का आवेदन निरस्त कर दिया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगा. 3 की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये तथा रेस्पो. संख्या 4 बावजूद सूचना/तामील अनुपस्थित रहे।

3. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दलील देते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर, कथन किया कि रेस्पो. संख्या 2 द्वारा रेस्पो. संख्या 3 को पत्र क्रमांक 195 दिनांक 15.03.2022 जारी किये जाने के बाद अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पटवार हल्का से जानकारी होने पर बिना किसी देरी नकूलात प्राप्त की गई। नकल प्राप्त होने पर अभिभाषकों से कानूनी राय लेकर बिना देरी अपील पेश की है। अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया है। इसके बाद अपीलांट द्वारा कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति का निर्णय दिनांक 11.03.2022 विधिविरूद्व है। रेस्पो. संख्या 2 द्वारा अपने आदेश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज, आदेश/निर्णय व दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर माना है कि प्रश्नगत भूमि आवंटन योग्य है तथा अपीलांट के पक्ष में पुराने कब्जे के साक्ष्य के रूप में पर्याप्त पी–14 की नकलें उपलब्ध है। अपीलांट के पक्ष में तथ्य पूर्णतया साबित होने के बाद भी रेस्पो. संख्या 3 की गलत रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 कि अपीलांट आवेदन न तो ग्राम अतेवा में निवास करता है ना ही वह सद्भावी कृषक है। पुश्तैनी कृषि भूमि का बेचान कर चुका है के आधार पर आवेदन निरस्त किया है। रेस्पो. संख्या 2 के समक्ष पूर्व की कार्यवाहियों में रेस्पो. संख्या 3 को पत्र प्रेषित किये परन्तु रेस्पो. संख्या 3 द्वारा मौके की रिपोर्ट जानबूझकर 2 साल से अधिक समय तक भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे स्पष्ट है कि रेस्पो. संख्या 3 प्रारम्भ से ही अपीलांट के विरूद्व द्वेषपूर्ण भावना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रखता है। दबाब बढने पर गलत रिपोर्ट भेजकर अपीलांट को उसके अधिकारों से वंचित कराया जबकि अपीलांट निरन्तर ग्राम अतेवा में निवास करता रहा है। ग्राम अतेवा की निर्वाचक नामावली वर्ष 2014 में अपीलांट का नाम है। पत्र दिनांक 27.01.2007 की ग्राम सभा की बैठक में भूमि को कृषि योग्य मानकर जिला कलक्टर को प्रस्ताव संख्या 12 में अभिशंषा की है। अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं को भी आवंटन हुआ है तो हमारे लिए आवंटन योग्य क्यों नहीं है। भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी आदि द्वारा प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 पंचायत समिति करौली को प्रेषित रिपोर्ट में वर्ष 1986 सम्वत् 2043 से निरन्तर अपीलांट का 4 बीघा भूमि पर काबिज मानकर काश्तकार होना दर्ज किया है। इससे पूर्व विगत 36 साल से अधिक समय से अपीलांट का काबिज काश्तकार होना पूर्णतया साबित था तथा रेस्पो.संख्या 2 द्वारा काबिज काश्तकार होना सिद्ध माना है। रेस्पोडेन्टस द्वारा आराजी ख.नं. 655 में अन्य को नियमन का आवंटन किये हुए है ऐसी स्थिति में अरसादराज से काबिज काश्तकार को उपरोक्त आधार पर नियमन करने से वंचित करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था कि भूमि मुख्य सडक पर होने से नियमन योग्य नहीं है। रेस्पो. संख्या 2 द्वारा इस तथ्य पर बिना गौर किये कि अपीलांट व अन्य काफी अर्सा पूर्व से ही नियमन कराने के लिए प्रयास करते रहे है तथा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर विवश होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में वर्ष 2016 में याचिका दायर की जिसपर दिये निर्देशों के तहत कोई कार्यवाही रेस्पोडेन्टान द्वारा न किये जाने पर पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में वर्ष 2019 में याचिका दायर की गई जिसमें पुनः निर्देश दिये जाने पर कार्यवाही करते हुये 11.03.2022 को आवेदन निरस्त कर दिया गया जिससे दुर्भावना पूर्णतया साबित है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.10.2001 में जिनका कब्जा 1994 से है उसका नियमन करने का जिक्र है। खसरा नम्बर 391 व 392 को भी खसरा नम्बर 655 में शामिल कर दिया जिसमें 1 बीघा 06 विस्वा हमारा पैतृक है। दस्तावेजात व कब्जे को नहीं देखा। सरपंच से मिल्लत कर अपीलांट की बैक में तैयार कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के विपरीत निर्णय दिनांक 11.03.2022 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पो. संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 को अपास्त कर अपीलांट के आवेदन को स्वीकार कर उसके हक में कृषि भूमि के रूप में नियमन किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत ढंग से ही अपील मंजूर की थी। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि रेस्पो. संख्या 2 द्वारा रेस्पो. संख्या 3 को पत्र क्रमांक 195 दिनांक 15.03.2022 जारी किये जाने के बाद अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पटवार हल्का से जानकारी होने पर बिना किसी देरी नकूलात प्राप्त की गई। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी गई। इस कारण अपील में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जावे। हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र के तर्कों से सहमत हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि उभयपक्ष की उचित सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो सके और कोई भी पक्ष बिना सुने न रहे। अतः प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपील में हुए विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में अपीलांट के आवेदन पर दिनांक 11.03.2022 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलांट न तो ग्राम अतेवा में वर्तमान में निवास करता है न ही वह सद्भावी कृषक है। इसके अतिरिक्त उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि का बेचान भी किया जा चुका हैं इसके अलावा भूमि कैलादेवी–करौली मुख्य सडक पर उपलब्ध है जो कि वर्तमान में राज्य मार्ग घोषित हो चुका है जिससे आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत आवंटन/नियमन योग्य नहीं माना। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलांट को सद्भावी कृषक नहीं मानते हुए उसके आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित नहीं माना था। दस्तावेज से यह भी स्पष्ट है कि भूमि गैर मुमकिन पहाड है जो भूमि कृषि के लिये नियमन नहीं की जा सकती है। भूमि राज्य मार्ग की मुख्य सडक पर भी स्थित बतायी है जो राज्य मार्ग की सीमा में होने से भी नियमन योग्य नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलांट/आवेदक के आवेदन को सर्वसम्मति से नियमन योग्य नहीं मानकर खारिज किया है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी को उसके अतिक्रमण के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। भू आवंटन सलाहकार समिति ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में अपीलांट/आवेदक के आवेदन का परीक्षण कर ही निर्णय पारित किया है जो निर्णय विधि सम्मत है और समिति के इस निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलें सारहीन है तथा उनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा आवंटन सलाहकार समिति का निर्णय दिनांक 11.03.2022 को यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर